बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न दुकानों तक उपलब्ध कराने हेतु विगत वर्ष 2014—15 की भाँति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015—16 में 356.72 करोड़ (तीन सौ छप्पन करोड़ बहत्तर लाख) रू0 की लागत से डोर स्टेप डिलेवरी योजना लागू करने की स्वीकृति के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0—196/2001 पी0यू0सी0 एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 14.09.2011 को न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसके अनुसार सभी राज्यों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक खाद्यान्न को पहुँचाना सुनिश्चित करना था । इसके आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न दुकानों तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014—15 में 285.58 करोड़ (दो सौ पचासी करोड़ अन्ठावन लाख) रू0 की लागत से डोर स्टेप डिलेवरी योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई। डोर स्टेप डिलेवरी योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015—16 में भी लागू करने की आवश्यकता है ।

2. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया है जिसके प्रावधानों को माह फरवरी, 2014 से राज्य में भी लागू किया गया है । इस योजनान्तर्गत भारत सरकार के द्वारा कुल 55.27 लाख मे0टन खाद्यान्न का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है । अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्वांत के आलोक में अबतक पहचान किये गये कुल 7,60,62,727 पात्र व्यक्ति हेतु कुल 4.09 लाख मे0टन खाद्यान्न बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों से निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान पर पहुँचाया जा रहा है । अधिनियम के आलोक में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 8.71 करोड़ पात्र गृहस्थियों के विरूद्ध शेष गृहस्थियों को नियमानुसार मार्गदर्शक सिद्वांत के अनुरूप चयन कर शेष खाद्यान्न की मांग भारत सरकार से की जा रही है ।

3. वित्तीय ,वर्ष 2014—15 के लिए डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत 285.58 (दो सौ पचासी करोड़ अन्ठावन लाख) रू0 की योजना की विभागीय संकल्प ज्ञापांक—8832 दिनांक 20.11.2014 द्वारा स्वीकृति प्राप्त थी जिसके विरूद्व 2,14,33,05,407 (दो सौ चौदह करोड़ तैतीस लाख पॉच हजार चार सौ सात) रू0 का भुगतान किया गया है। शेष 71,24,94,593 (एकहत्तर करोड़ चौबीस लाख चौरान्वे हजार पॉच सौ तिरानवे) रू0 का भुगतान लंबित है ।

4. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए डोर स्टेप डिलेवरी योजना के लिए कुल लक्ष्य 55.27 लाख मे0टन को आधार मानते हुए राशि की गणना विगत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत दर के आधार पर की गई है । फलतः इस मात्रा के खाद्यान्न के डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत परिवहन पर राज्य खाद्य निगम द्वारा दर्शाये गये दर अनुमानित दर के अन्दर निविदा द्वारा प्राप्त दर के आधार पर भुगतान किया जाना है । बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा परिवहन निविदा से प्राप्त परिवहन–सह–हथालन उप मद के दर के आधार पर कार्यान्वित डोर स्टेप डिलेवरी में वास्ताविक व्यय 51.65 रू0 प्रति क्वींटल है ।

5. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा परिवहन निविदा से प्राप्त परिवहन–सह–हथालन उप मद के दर के आधार पर कार्यान्वित डोर स्टेप डिलेवरी में वास्तविक व्यय की गणना निम्नवत् की गई है :–

कुल खर्च प्रति क्वींटल

1. परिवहन 2. हथालन	– 38.40 रू0
3. कार्मिक	– 7.77 रू.0
4. कम्प्यूटराईजेशन एवं अन्य सम्बद्ध उप मद	– 4.08रू0
5. भंडारण	– 0.40 रू0
6. आकस्मिकता	– 1.00 रू0
कुल योग	**– 51.65 रू0**

यह दर विगत वर्ष 2014–15 में योजना प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसके आधार पर भुगतान किया गया है ।

6. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा दर्शाये गये तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजना प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत दर से वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 55.27 लाख मे0टन वार्षिक खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत हथालन, परिवहन पर वार्षिक अनुमानित व्यय रू0 285.47 करोड़ (दो सौ पचासी करोड़ सैतालीस लाख) है ।

7. इस प्रकार डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत विगत वर्ष की राशि रू0 71.25 करोड़ एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 285.47 करोड़ रूपये कुल 356.72 करोड़ (तीन सौ छप्पन करोड़ बहत्तर लाख) रू0 का व्यय वर्ष 2015–16 में संभावित है ।

8. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न दुकानों तक उपलब्ध कराने हेतु विगत वर्ष 2014–15 की भांति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में 356.72 करोड़ (तीन सौ छप्पन करोड़ बहत्तर लाख) रू0 की लागत से डोर स्टेप डिलेवरी योजना लागू करने का प्रस्ताव है ।

9. डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना मांग संख्या–18 उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–P 345600102030 6 विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0– P 345600789030 2 विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी एवं मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0– P 345600796030 2 विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी एवं मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, लघु शीर्ष 102–सिविल पूति योजना उपशीर्ष 0206 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन विपत्र कोड P 345600102020 6 विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से किया जाएगा।

10. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 12.05.2015 को मद संख्या – 05 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । संचिका संख्या– प्र06–विविध–22/2015–11/टि0 ।

27/5/2015
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

27/5/2015
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–विविध–22/2015 4242 खाद्य–पटना/दिनांक– 27.05.15
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

27/5/2015
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–विविध–22/2015 4242 खाद्य–पटना/दिनांक– 27.05.15
प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/2015
सरकार के सचिव।

D:\Year --2014\SECTION--06\Door cabinet_Sankap_02 doc

ज्ञापांक – प्र06–विविध–22/2015 4242 खाद्य–पटना/दिनांक–27.05.15
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय /स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

27/5/2015
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–विविध–22/2015 4242 खाद्य–पटना/दिनांक–27.05.15
प्रतिलिपि – बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/अपर सचिव–सह– सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/2015
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–विविध–22/2015 4242 खाद्य–पटना/दिनांक–27.05.15
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/2015
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–विविध–22/2015 4242 खाद्य–पटना/दिनांक–27.05.15
प्रतिलिपि – अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/2015
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–विविध–22/2015 4242 खाद्य–पटना/दिनांक–27.05.15
प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

27/5/2015
सरकार के सचिव।